अंचल कार्यालय महेशपुर।

राजस्व विविध वाद अभिलेख संख्या–55/16–17

(बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950(झारखण्ड में अंगीकृत) धारा–4(H)के अर्न्तगत)

आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
4/x/21	इस वाद की कार्यवाही मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 04/स0भू0 (दिशा निर्देश)–95/2016, 2074/रा0 राजस्व, निबंधन एंव भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार दिनांक 13.05.2016 के आलोक में अपर समाहर्त्ता पाकुड़ के संसूचित आदेश ज्ञापांक 479/रा0 दिनांक 14.05.2016 से अनाबादी खातार्न्तगत गैर मजरूआ आम/खास भूमि की संदेहास्पद कायम जमाबंदी की जॉच संदर्भित प्राप्त निदेश के आलोक में प्रारम्भ की गई है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित है कि मौजा नयापाड़ा थाना संख्या–158 अनाबादी खाता संख्या–24 दाग संख्या–270 एंव 272 दोनों दागों में कुल रकबा–11 बीघा 16 कट्ठा 11 धूर भूमि तत्कालीन राजस्व उपनिरीक्षक एंव अंचल निरीक्षक महेशपुर के द्वारा अनाबादी खातार्न्तगत प्रतिवेदित किया गया है जबकि प्रश्नगत दाग संख्या–270 अर्न्तगत रकबा–08 बीघा 03 कट्ठा 07 धूर एंव दाग संख्या–272 अर्न्तगत रकबा–03 बीघा 13 कट्ठा 04 धूर दोनों दागों में कुल रकबा–11 बीघा 16 कट्ठा 11 धूर जो पूर्व प्रधान द्वारा बाबुलाल हॉसदा के पक्ष में बन्दोबस्ती की गई है की स्वीकृति न्यायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, पाकुड़ के बन्दोबस्ती मुकदमा संख्या–26/1981–82 में पारित आदेश दिनांक–28.07.1981 से दी गई है। अभिलेखबद्व दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि न्यायालय, अंचल अधिकारी, महेशपुर के अमीन मापी वाद संख्या–10/1987 में पारित आदेश दिनांक–10.03.1988 से बन्दोबस्तधारी के पक्ष में प्रश्नगत दागों की भूमि की अमीन मापी–सह–सीमांकन निष्पादित है। अभिलेखबद्व दस्तावेज के अवलोकन से यह भी ज्ञात हुआ है कि बन्दोबस्तधारी के पक्ष में स्वीकृत बन्दोबस्ती पट्टा के आलोक में प्रश्नगत दागों की भूमि का तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय से भू–लगान वाद संख्या–43/38/1981–82 के माध्यम से वार्षिक लगान का निर्धारण किया गया है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा यह स्पष्ट प्रतिवेदित किया गया है कि "चूंकि विपक्षी के पक्ष में सभी प्रकिया नियमानुसार सम्पादित है। अतः संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एंव अंचल निरीक्षक महेशपुर के द्वारा प्रश्नगत दाग संख्या–270 एंव 272 रकबा–11 बीघा 16 कट्ठा 11 धूर की राजस्व पंजी–II में कायम जमाबंदी विलोपन हेतु बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् परिचालित राजस्व विविध वाद संख्या–216/16–17 की कार्यवाही को स्थगित किए जाने की अनुशंसा की गई है। अतः संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एंव अंचल निरीक्षक महेशपुर द्वारा समर्पित अनुशंसित जॉच प्रतिवेदन, न्यायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा पारित आदेश के आधार पर मौजा नयापाड़ा थाना संख्या–158 अनाबादी खाता संख्या–24 दाग संख्या–270 एंव 272 दोनों दागों में कुल रकबा–11 बीघा 16 कट्ठा 11 धूर भूमि के विरूद्ध न्यायालय, अंचल अधिकारी, महेशपुर में राजस्व विविध वाद संख्या–55/16–17 के माध्यम से संस्थित बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा–4(h) की कार्यवाही को बन्द किया जाता है। आदेश से विपक्षी एंव भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ को अवगत करायें। (ह०) 04/10/21 अंचल अधिकारी महेशपुर (ह०) 04/10/21 अंचल अधिकारी महेशपुर	

Digitally signed by RITESH JAISWAL
Date: 2021.10.04 16:54:33 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:8f:3e96:3f57:ff94

Scanned with CamScanner